समस्त पत्र–व्यवहार रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या AF-6913 /सम्बद्धता/2018

दिनांक 27/7/018

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक
मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर,
कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ।

महोदय,

मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम** में अस्थायी सहयुक्तता प्रदान करने विषयक किये गये महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनार्न्तगत उक्त पाठ्यक्रम में अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ कराये गये निरीक्षण में निरीक्षक मण्डल की आख्या की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.07.2018के अन्य मद संख्या : 01(ख–1) द्वारा बी0ए0एम0एस0 (100सीट) पाठ्यक्रम** में सत्र 2017–18 से चार वर्षो हेतु अस्थायी सहयुक्तता निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0/मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के रेगुलेशन के निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्थान की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से तीन माह में प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य व शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जायेगा तथा संस्थान/चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर सम्पूर्ण विवरण अपलोड किया जाता रहेगा।
7. संदर्भित पाठ्यकम की प्रदत्त सहयुक्तता पूर्णतः सी0सी0आई0एम0 की मान्यता के अधीन होगी अर्थात सी0सी0आई0एम0 की मान्यता होने पर ही प्रवेश लिया जा सकता है।
8. सी0सी0आई0एम0 द्वारा अनुमोदनावधि के मध्य यदि अनुमोदन वापस लिया जाता है अथवा किसी प्रकार की शर्त अधिरोपित की जाती है तो चिकित्सा संस्थान द्वारा तत्काल विश्वविद्यालय को इससे अवगत कराया जायेगा।
9. संस्थान प्रवेश तथा परीक्षा आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय/ सी0सी0आई0एम0 के दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में करना सुनिश्चित करेगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

27/07/18

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : /सम्बद्धता/2018, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
3. गार्ड फाईल।

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)